न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2013 शाजापुर R 3062-I/13

हनीफ पुत्र रसूल खां मुसलमान,
निवासी ग्राम मोचीखेड़ी, तहसीलदार-
गलाना, शाजापुर

..... आवेदक

बनाम

अमीनाबाई पत्नी हबीब खां मुसलमान,
निवासी ग्राम मोचीखेड़ी, तह.- गलाना,
शाजापुर

.... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसीलदार गलाना, शाजापुर के प्र.क्र. 10ए13/2012-13 अमीनाबाई बनाम हनीफ खां आदेश दिनांक 20-06-2013 को पारित।

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार पेश है :-

यह कि, अनावेदिका का आने जाने का रास्ता चालू है, गांव मोचीखेड़ी की पाल के पास से जो कि पुराना रास्ता है जो कि चालू है इस रास्ते का उपयोग स्वयं अनावेदिका, रज्जाक, वाहिद खां, पूर्व नारायण पटवारी आदि कृषकगण उपयोग करते हैं और आने-जाने का रास्ता भी इसी मार्ग से है । अनावेदिका का रास्ता इसी मार्ग से चालू है, अनावेदिका बिना औचित्य कारण से तिगंजपुर के कांकड़ से नवीन रास्ते की मांग कर रही है जो अनुचित है जिसे निगरानीकर्ता ने आपत्ति कर तहसील न्यायालय को अवगत कराया जिसे तहसील न्यायालय ने दिनांक 20-06-2013 को निरस्त कर दिया, के खिलाफ यह निगरानी आवेदनपत्र समय सीमा में होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

निगरानी के आधार :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण किया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक स्थिति व रिकार्ड के विपरीत वस्तुस्थिति के खिलाफ जो आदेश पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

187

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3062-एक/15 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	